


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज शान्ति बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अपील संख्या 2022 / 502	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.04.26	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्त को आवाज लगवाई गई। पुनः रूक रूककर आवाजें लगवाई गई फिर भी अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित है एवं अपीलार्थी या उनकी ओर से अन्य कोई और भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे विदित होता है कि प्रकरण वर्ष 2022 से विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्त पूर्व में भी अनुपस्थित रहे हैं और उन्हें अंतिम अवसर भी दिया गया है उसके बावजूद आज भी अपीलार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (वे.सरवण कुमार) संभागीय आयुक्त जयपुर।</p>	